(b) if so, whether adequate grants are proposed to be provided for strengthening these laboratories;

(c) if so, what additional funds are proposed for the purpose;

(d) whether any efforts are being made to set stiff standards for the beneficiary laboratories, to undertake useful research; and

(e) if so, whether any such directions has been given?

THE MINISTER OF SATATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) Over 80% of CSIR's 40 national laboratories are nearly 40 years old and their infrastructure and equipment has aged. The Government has announced a special matching grant equal to the incremental commercial rupee that is generated from the year 1997-98 for modernisation of CSIR laboratories. CSIR has been requesting additional assistance.

(d) and (e) CSIR has set for itself the target of generating Rs. 700 Crores from external sources by 2001-2002. This implies that the beneficiary laboratories would necessarily undertake R&D of use and vlaue.

मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा निजी परिसंपत्तियों की घोषणा

2923. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा पद ग्रहण करने से पहले निजी परिसंपत्तियों की अनिवार्य रूप से घोषणा करने का प्रावधान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ग-III और IV के कर्मचारियों के लिये पदग्रहण करने के बाद टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर और अन्य आधुनिक उपकरण लेने से पहले अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है और (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) 13.9.1996 को राज्य सभा में प्रस्तुत लोकपाल विधेयक 1996 के खंड 18 में, किसी संसद-सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष, यथा-निर्धारित प्रपत्र में अपनी तथा अपने परिवारजनों की सभी परिसंपत्तियों और उनके स्वयं तथा उनके परिवारजनों द्वारा निबाहे गये दायित्वों पर किये गये व्यय का ब्यौरा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संसद के गृह-कार्यों से संबंधित विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के पास विचाराधीन है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम, 16(1) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर, निर्धारित प्रपत्र में अपनी परिसम्पत्तियों और दायित्वाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 18(3) के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से चल सम्पत्ति से संबंधित लेन-देन करता है तो ऐसे लेन-देन में सम्पत्ति की कीमत समूह "क" अथवा समूह "ख" के कर्मचारियों के मामले में 15,000/- रुपए और समूह "ग" अथवा समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में 10,000/- रुपए से अधिक होने पर उसके द्वारा उक्त लेन-देन की तारीख से एक माह के भीतर, नियत प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जानी अपेक्षित है। इसे ध्यान में रखते हुये समूह "ग" तथा समूह "घ" के कर्मचारियों द्वारा, अपना पदग्रहण करने के बाद, टेलीफोन, रेफ्रीजरेटर और अन्य आधुनिक उपकरण लेने से पहले, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना अनिवार्य नहीं किया गया है।

Privatisation of Local Public Services

2924. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to privatise the local public services in urban infrastructure;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is also a proposal to amend the existing Urban Land (Ceiling &